प्रेस विज्ञप्ति

08.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 06.11.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सतीश सेल और अन्य के मामले में लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के अपराध में 21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति कारवार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सतीश कृष्ण सेल की है, जो मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएसपीएल), गोवा के माध्यम से स्वामित्व में है।

एलईए के आरोपपत्र के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने 15/03/2010 को बेलेकेरी बंदरगाह का दौरा किया था और बंदरगाह क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया था। अपनी जाँच के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ लौह अयस्क भंडार खान एवं भूविज्ञान विभाग और वन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट और पास के बिना थे। तदनुसार, उन्होंने महाजर जारी किया और लगभग 5 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण जब्त किया।

इससे पहले, ईडी ने कर्नाटक, गोवा, दिल्ली और मुंबई राज्यों में 15 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली थी और सतीश कृष्ण सेल को गिरफ्तार किया था। सेल से लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और सोना भी जब्त किया गया था। बाद में, सतीश सेल को अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी, जिसे माननीय विशेष न्यायालय ने 07.11.2025 को रद्द कर दिया था।

मैसर्स एसएमएसपीएल के प्रबंध निदेशक, आरोपी सतीश कृष्ण सेल ने दावा किया था कि उन्होंने बेलेकेरी बंदरगाह पर जब्त किए गए लगभग 1.54631 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण को लौह अयस्क के व्यापार में शामिल विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा था।

इसके बाद, मेसर्स एसएमएसपीएल के प्रबंध निदेशक सतीश कृष्ण सेल ने बंदरगाह संरक्षक के साथ मिलीभगत करके, हांगकांग में एक और कंपनी खोलकर, एमवी कोलंबिया और एमवी मंदारिन हार्वेस्ट जैसे जहाजों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त जब्त लौह अयस्क को चीन निर्यात कर दिया।

ज़ब्त की गई संपत्ति में चिकालिम गाँव, मोरमुगाओ में स्थित 12,500 वर्ग मीटर खुली ज़मीन, दक्षिण गोवा के मोरमुगाओ तालुका में "पेड्रो गैले कोट्टा" नामक 16,850 वर्ग मीटर कृषि संपत्ति और वास्को दा गामा, गोवा के कदंबा बस स्टैंड के सामने, आवर लेडी ऑफ़ मर्सेस बिल्डिंग में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं मंज़िल पर स्थित व्यावसायिक परिसर शामिल हैं, जिनका वर्तमान बाज़ार मूल्य लगभग 64 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।